

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बड़ीसादही जि. बिक्रानेर  
सुरवलाल पिंग विरमा जटिया बनाम सुखलाल पिंग विरमा जटिया  
 किस्म मुकद्दमा नं. वाट 88 RTA ति. 05/2021  
नहरीलाल बनीलादी  
नि. रणावतों ० सिम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.2.21	<p>वादी सुखलाल हाउ ४१८ ४४ RTA के तहत इडाग डुरकली वाकत प्र.पञ पेश किया। जिहसी जांच तहकीलदात बनीलादी से कराई गई। तहकीलदात बनीलादी ने कंपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान रिकॉर्ड अड्डा सु-प्रबन्ध से शर्ज जमाबंदी केवत 2066-69 की खारा सं. 81 के क्र.नं. 173 के अर्षी का 1/4 हिस्सा दर्ज है जसके गरीब सु. प्रबन्ध जमाबंदी के क्र.नं. 265 के अर्षी का नाम दर्ज गरी लोक इनके दोनो भाईको रखा, रागू पिंग विरमा 1/2 जटिया काट डेह दर्ज हो गया है गजसमाबंदी 2066-69 अड्डा क्र.नं. 265 खरा 0.97 है. जसके में रखा रागू पिंग विरमा 1/2 के बजाय रखा रागू सुधा पिंग विरमा 1/2 जटिया दर्ज किया जाना उचित है।</p> <p>किस प्रस्तुत प्र.पञ एवं तहकीलदात बनीलादी की रिपोर्ट का क्वलोकन किया गया प्र.पञ के साथ लेखक राजस्थान रिकॉर्ड</p>	

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अ  
हुकम  
में ज

आदेश दिया जाता है कि कौजा बगावतों का खेडा की भा.न. 265 रकबा 0.97 है. भूमि में खालेदाग रन्पा रात्र पिला विका 2/3 के साथ के खालेदाग सुखा का नाम संभुल खालेदागी में जोड़ने का आदेश दिया जाता है. निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार की मदद के जेबिन की जावे।

निर्णय सुनाया गगन पठावली फौजल शुक्रा होकर बख्शा से 33 हो

उपसुन्द अधिकारी  
बहीसावड़ी जि. बिलीगा